



झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड

(CIN: U40108JH2013SGC001704)

उपमहाप्रबंधक (परिचालन एवं परियोजना) का कार्यालय, संचरण अंचल, धनबाद

बिजली कॉलोनी हीरापुर जिला धनबाद झारखण्ड 826001

Email id: - dgm2018tcdhanbadjusnl@gmail.com/aotcdhn@gmail.com

पत्र संख्या-----/

दिनांक -----

प्रेषक

उपमहाप्रबंधक
संचरण अंचल, धनबाद

सेवा में

वन प्रमंडल पदाधिकारी
वन प्रमंडल, बोकारो (झारखण्ड)

विषय:

220 के०वी० डबल सर्किट टी.टी.पी.एस. - गोविन्दपुर से जैनामोड़ लिलों ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु कुल 34.739 हे० अपयोजित वन भूमि के विरुद्ध भारत सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय का पत्रांक सं०- FP/JH/Trans/40558/2019/151 दिनांक 21.03.2022 द्वारा स्वीकृत स्टेज-1 में लगाए गए शर्तों के आलोक में डिमांड राशि जमा करने के संबंध में।

प्रसंग

- (1) वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, बोकारो का पत्रांक 1771 दिनांक 02.07.2022
- (2) वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, बोकारो का पत्रांक 2218 दिनांक 09-08-2022
- (3) वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, बोकारो का पत्रांक 2285 दिनांक 17-08-2022
- (4) इस कार्यालय का पत्रांक 479 दिनांक 01.12.2022
- (5) वरीय प्रबंधक, संचरण प्रमंडल, धनबाद का पत्रांक 287 दिनांक 12.12.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है प्रसंग क्रमांक (4) के द्वारा अनुरोध किया जा चुका है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, बोकारो के पत्रांक 2285 दिनांक 17.08.2022 के आलोक में Wild life mitigation plan के अनुपालन में परियोजना लागत रु० 2403.09 लाख का 02% (दो प्रतिशत) अर्थात् रु० 48,06,180.00 राशि CAMPA खाता में जमा करने की अनुमति प्रदान की जाय। साथ ही यह भी अनुरोध किया गया है कि यदि Wild life mitigation plan के निर्माण में व्ययगत राशि में किसी भी प्रकार की वृद्धि होती है तो झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड उस राशि का भुगतान करने के लिए वचनबद्ध है।

यह परियोजना 220/132/33 के० वी० ग्रिड सब-स्टेशन जैनामोड़ को ऊर्जान्वित करने के लिए अति आवश्यक है और यह एक मात्र संचरण लाइन है जिससे इस ग्रिड को विद्युत मिल सकता है। इस ग्रिड से 132/33 के० वी० अन्य दो ग्रिड सब-स्टेशन (चंदनकियारी एवं पेटरवार) तक विद्युत का संचरण किया जाना है साथ ही जैनामोड़, फूसरो, बड़ी को-आपरेटिव, एवं बालिडीह के कई क्षेत्रों में 33 के० वी० विद्युत आपूर्ति की जा सकती है।

विदित हो कि Wild life mitigation plan तैयार किया जा रहा है जिसके लिए संचरण लाइन के corridor एवं उसके परितः आनेवाले वन्यजीवों का Habitat management, water management, fire management एवं अन्य संभावनाओं का आकलन किया जा रहा है जिसमें कुछ विलम्ब होने की संभावना है। किन्तु परियोजना की महत्वता को ध्यान में रखते हुए 220/132/33 के 0 वी० गिड सब-स्टेशन जैनामोड़ को ऊर्जनित करने के लिए संबंधित संचरण लाइन 220 के 0 वी० डबल सर्किट टी.टी.पी.एस. - गोविन्दपुर लिलों जैनामोड़ को यथाशीघ्र निर्माण करना अति आवश्यक है।

अतः पुनः अनुरोध है कि रु० 48,06,180.00 मात्र को CAMPA खाता में जमा करने की स्वीकृति प्रदान की जाय ताकि यथाशीघ्र स्टेज-1 का अनुपालन प्रतिवेदन अग्रतर कार्यवाही हेतु समर्पित किया जा सके। यदि Wild life mitigation plan के मद में व्ययगत राशि की वृद्धि होती है, तो झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड उस राशि का भुगतान करने के लिए वचनबद्ध है, जिसके लिए वरीय प्रबंधक, संचरण प्रमंडल, धनबाद का "वचनबद्धता" की प्रति संलग्न है।

अनुलग्नक: यथोपरि

विश्वासभाजन

ह०/-

उपमहाप्रबंधक
संचरण अंचल, धनबाद

जापांक _____

दिनांक _____

प्रतिलिपि वन संरक्षक, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित।

ह०/-

उपमहाप्रबंधक
संचरण अंचल, धनबाद

जापांक 514

दिनांक 13.12.2022

प्रतिलिपि: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन, रांची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह कार्यकारी निदेशक, बंजरभूमि विकास बोर्ड, रांची, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित।

 13-12-2022

उपमहाप्रबंधक
संचरण अंचल, धनबाद



झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड

(CIN: U40108JH2013SGC001704)

वरीय प्रबंधक का कार्यालय संचरण प्रमंडल धनबाद

बिजली कॉलोनी हीरापुर जिला धनबाद झारखण्ड 826001

Email id: - eeetddhanbad@gmail.com/aotcdhn@gmail.com

वचनबद्धता

स्टेज-I के शर्त संख्या A-3 के कम में Wildlife Mitigation Plan के अनुपालन हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या -FC-11/43/2021-FC दिनांक-07/06/2022 में उल्लेखित परियोजना लागत का 2 प्रतिशत राशि कैम्पा खाता में जमा किये जाने के प्रावधान है। यदि भविष्य में Wildlife Mitigation Plan के अंतर्गत 2 प्रतिशत के अतिरिक्त राशि की जरूरत पडती है तो इस राशि का भी भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण (झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड) करने के लिए वचनबद्ध है।

विश्वासभाजन

अजय कुमार
13/12/22

वरीय प्रबंधक

संचरण प्रमंडल, धनबाद।

आलय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो।
BLOCK-A, VAN BHAWAN, PURULIA ROAD, GHAS, BOKARO-827013
Phone/Fax No : 91-6542-705142

पत्रांक :- 2285

दिनांक :- 17/08/22

विद्युत कारोपालक अभियन्ता
झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड
संचरण प्रमण्डल, धनबाद
बिजली कौलोनी, हिसपुर, पिन-826001
जिला-धनबाद (झारखण्ड)।
ईमेल - dgm2018tdhanbadjsnl@gmail.com

विषय - तिलो 200 कोभी0एस0/सी0 टी0टी0पी0एस0 गोविन्दपुर से जैनामोड़ ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु कुल-34.739 हे0 अपयोजित वनभूमि के प्रमुख भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय का पत्र सं0-FP/JH/TRANS/40558/2019/151 दिनांक-21.03.2022 द्वारा स्वीकृत Stage-I में लगाये गये शर्तों के आलोक में संशोधित डिमाण्ड राशि जमा करने के संबंध में।

इस कार्यालय का पत्रांक-1771, दिनांक-02.07.2022, ज्ञापांक-2198 दिनांक-06.08.2022, ज्ञापांक-2199 दिनांक-06.08.2022 एवं पत्रांक-2218 दिनांक-09.08.2022

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना में अपयोजित वनभूमि के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय का पत्र सं0-FP/JH/TRANS/40558/2019/151 दिनांक-21.03.2022 द्वारा Stage-I की शर्तों के साथ दी गई है। शर्त सं0-(A) के 1, 2 एवं (B) के 9(d) के आलोक में डिमाण्ड राशि भेजा गया है तथा ई-परिवेश पोर्टल के कैम्पा खाता में जमा करते हुए Stage-I के शर्तों के अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गई है, जो अब तक अप्राप्त है। साथ ही Stage-I के शर्त सं0-3 के क्रम में Wildlife Mitigation Plan के अनुपालन हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं0-FC-11/43/2021-FC दिनांक-07.06.2022 में उल्लेखित Project cost का 2% राशि कैम्पा खाता में जमा किये जाने का प्रावधान है, की प्रति प्रासंगिक पत्र द्वारा दत्त हुए अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गई है। आपके परियोजना का कुल Project cost Rs. 2493.99 Lakh का 2% राशि कैम्पा खाता में जमा किया जाना है, जो अभी तक नहीं किया गया है।

अतः पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में डिमाण्ड राशि एवं शर्त सं0-3 से संबंधित राशि ई-परिवेश पोर्टल के कैम्पा खाता में जमा करते हुए Stage-I के सभी शर्तों के अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र समर्पित किया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो।

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Road, Aliganj,
New Delhi: 110003,

Dated: 7th June, 2022

To

Addl. Chief Secretaries/Principal Secretaries (Forests),
All States/Union territory Administrations

Sub: Charging of an lump sum amount of the project cost towards the cost of implementation of the Wildlife Management Plan and lump sum amount of the project cost towards the cost of implementation of Soil and Moisture Conservation Plan -reg.

Sir,

I am directed to refer to above mentioned subject and to inform that issue related to preparation of Wildlife Management Plans, Soil Moisture Conservation Plans was considered by the Forest Advisory Committee in its meeting held on 11th May, 2022 wherein Committee inter-alia observed that preparation of such plans by the premier/reputed institutes consumes substantial time is resulting into considerable delay in the process which is ultimately delaying the commencement of different developmental projects. Committee further opined that implementation of mitigating measures should invariably be commenced with the commencement of non-forestry use of forest land and under no circumstances, such mitigating measures should be delayed beyond 2 years to ensure commencement of rejuvenation of ecosystem services lost from the forest area allowed for non-forestry use at the earliest possible time. After detailed deliberations and discussion in the matter, the Committee recommended that a lump sum amount towards the cost of implementation of Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan should be charged in cases where preparation of such Plans is likely to take more time as compare to submission of other compliance for obtaining Stage-II approval.

Based on the recommendation of the Forest Advisory Committee (FAC) and acceptance of the same by the competent authority of the MoEF&CC, the Central Government provides the following provisions to deal with situations where preparation and finalization of Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan is delayed for various reasons not attributable to State/User agency:

- i. The State Government should submit Wildlife Management Plan, along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA along with the Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State to submit the compliance due to delay in preparation of such plan, a lump sum quantum of following amount may be realized from the User agency and submitted along with the Stage I Compliance:
 - a. 2% of total project cost towards the cost of implementation of the Wildlife Management Plan and/or 0.5% of the project cost towards the cost of implementation of Soil and Moisture Conservation Plan, as the

- case may be, shall be charged from the user agency and deposited into the account of CAMPA and the same may be intimated to the MoEF&CC for the purpose of obtaining approval under the FC Act, 1980.
- b. The provisions provided in the WLMP or SMC Plan shall be approved by the competent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized to the tune of 2% and/or 0.5% of project cost, shall be paid by the user agency, and same shall be deposit in the CAMPA account prior to actual working on the Forest area.
- ii. The State Government shall ensure that details of the finalized WLMP, SMC Plan and disposition of monies, payment of deficit amount, etc. shall be intimated to and concurred by the concerned IRO of the Ministry before actual breaking/Non forestry use of the forest land.
- iii. State Government shall ensure that under no circumstances, implementation of such mitigating measures envisaged in WLMP and SMC or other similar Plans/Schemes should be delayed beyond a period of 2 years to ensure commencement of rejuvenation of ecosystem services lost from the forest area allowed for non-forestry use of forest land at the earliest possible time.

Yours faithfully,

Signed by Charan Jeet
Singh

Date: 08-06-2022 09:11:07

Reason: Approved (Charan Jeet Singh)
Scientist 'D'

Copy to:

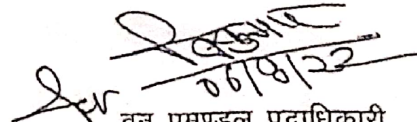
1. PCCF, All States/Union territories Administrations
2. Regional Officers, All Integrated Regional Office of the MoEF&CC at Bhubaneswar
3. The Nodal Officer, O/o the PCCF, All States/Union territory Administrations
4. Monitoring Cell, Forest Conservation Division, MoEF&CC, New Delhi
5. Guard File

कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो।

ज्ञापांक 2199

दिनांक 06/08/2022

प्रतिलिपि :- विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड, संचरण प्रमण्डल, धनबाद, बिजली कॉलोनी, हिरापुर, पिन-826001, ई-मेल dgm2018tcdhanbadjusnl@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में Stage-I के शर्त संख्या-3 का अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन शीघ्र समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय।


वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो।